



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
रावतभाटा राजस्थान साइट  
पोस्ट.अणुशक्ति, वाया कोटा(राज.), पिन-323303



## मानव संसाधन प्रबंधन

विज्ञापन सं.: आर आर साइट/मा.स.प्र./02/2019

ऑनलाइन आवेदन आरम्भ होने की तिथि: 31/12/2019 10:00 बजे से

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 21/01/2020 16:00 बजे तक

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी उद्यम है, एनपीसीआईएल भारत में एक ही स्थान पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं यथा नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमिशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन, संयंत्र आयु विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन एवं डीकमीशनिंग की व्यापक क्षमता रखता है, अपनी इकाई "रावतभाटा राजस्थान साइट" पर विभिन्न चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

### 1. पदों का विवरण

क्रम सं.	पदों के नाम	वर्तमान रिक्तियां							बैकलॉग रिक्तियां					
		कुल (A)	अजा	अजजा	अपिव	बेनिज	आ.क.व.	अना.	कुल (B)	अजा	अजजा	अपिव	बेनिज	कुल (A+B)
1	श्रेणी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु (एसटी/टीएम) प्रचालक	68	11	09	14	02*	06	28	02	01	01	00	00	70
2	श्रेणी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु (एसटी/टीएम) अनुरक्षक	100	17	13	20	04*	10	40	05	00	04	00	01	105
3	ड्राईवर-कम-पम्प ऑपरेटर-कम-फायरमैन-ए	10	03	00	02	00	01	04	00	00	00	00	00	10
	कुल	178	31	22	36	06*	17	72	07	01	05	00	01	185

\*वर्तमान 168 रिक्तियों में से, 06 रिक्तियों (VH: 02, HH:02, OH:02) को बे.निशक्त जन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा एवं क्षेत्रीय रूप से उनका समायोजन किया जाएगा। अतः चयनित बे.निशक्त जन अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित वर्गों यथा अनु.जा./अनु.जन. जा./अ.पि.व./अना. के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

संक्षिप्ति: अजा- अनुसूचित जाति, अजजा- अनुसूचित जन जाति, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन क्रीमीलेयर), बे.नि.ज.-बैंचमार्क निशक्तजन, आ.क.व.-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अना-अनारक्षित।

### श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-अनुरक्षक पद हेतु ट्रेडवार विवरण

क्रम सं.	पदों के नाम	वर्तमान रिक्तियां							बैकलॉग रिक्तियां					
		कुल (A)	अजा	अजजा	अपिव	बेनिज	आ.क.व.	अना.	कुल (B)	अजा	अजजा	अपिव	बेनिज	कुल (A+B)
1	इलेक्ट्रीशियन	14	02	02	03	क्षेत्रीय रूप से समायोजित की जाएगी	01	06	01	00	00	00	01	15
2	फिटर	57	10	08	11		06	22	00	00	00	00	00	57
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	17	03	02	04		02	06	04	00	04	00	00	21
4	इंस्ट्रुमेंटेशन	07	01	00	02		01	03	00	00	00	00	00	07
5	मशीनिस्ट / टर्नर	02	00	01	00		00	01	00	00	00	00	00	02
6	वैल्डर	03	01	00	00		00	02	00	00	00	00	00	03

## 2. आयु सीमा एवं वेतन

क्रम सं.	पदों के नाम	आवेदन करने की अंतिम तारीख को आयु सीमा	पे मैट्रिक्स में वेतन (7वें वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान के अनुसार)
1.	श्रेणी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु (एसटी/टीएम) - प्रचालक	18 से 24 वर्ष	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान वृत्तिका ₹ 10,500/- प्रति माह प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के दौरान वृत्तिका ₹ 12,500/- प्रति माह सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत, संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को संशोधित वेतन संरचना(वेतन मैट्रिक्स) सीसीएस(आरपी) नियम,2016 के अंतर्गत ₹ 21,700/- में लेवल 3 में तकनीशियन/बी पद हेतु नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। प्रचलित नियमों के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निष्पादन के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी प्रदान की जा सकती है।
2	श्रेणी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु (एसटी/टीएम) - अनुरक्षक	18 से 24 वर्ष	
3	ड्राइवर-कम-पम्प ऑपरेटर-कम-फायरमैन-ए	18 से 25 वर्ष	₹ 21,700/- (वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 3 में वेतन)

## 3. भत्ते एवं अन्य लाभ

केंद्रीय महंगाई भत्ता, निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, संतान शिक्षा सहायता, छुट्टी यात्रा रियायत, केंटीन सब्सिडी, स्थल अवस्थिति भत्ता, आवास, विद्यालय सुविधा इत्यादि जो भी समय समय पर निगम नियमों से स्वीकार्य हो। ये भत्ते केवल तकनीशियन के रूप में सफलतापूर्वक आमेलन एवं नियुक्ति के उपरांत ही प्रयोज्य होंगे।

## 4. प्रशिक्षण की अवधि

श्रेणी - II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-प्रचालक एवं अनुरक्षक के पद हेतु प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष(24 माह) रहेगी।

## 5. वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु वर्ग -II द्वारा अधिशासित किए जाने वाले बांड का विवरण

श्रेणी - II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-प्रचालक एवं अनुरक्षक हेतु चयनित अभ्यर्थीगण :

अनुरक्षक(आईटीआई) को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व एक बांड निष्पादित करना होगा। उक्त बांड न्यूनतम दो वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष तक की शर्त के साथ प्रशिक्षण अवधि के तीन गुना तक निष्पादित किया जाएगा। बांड के उल्लंघन करने की स्थिति में, पुनर्भुगतान किए जाने वाली राशि वास्तव में प्राप्त की गई वृत्तिका एवं पुस्तक भत्ते के योग के समतुल्य होगी।

एनपीसीआईएल में सेवा करने हेतु सेवा बांड की अवधि	प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत पांच वर्ष(5वर्ष)
क्षतिपूर्ति बांड/बैंक गारंटी की राशि	₹ 2,79,000/-

## 6. बें.निशक्त जनों हेतु चिह्नित पद: निशक्तता की प्रतिशत 40% अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।

पदों का नाम	अक्षमता वर्ग
श्रेणी - II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु (एसटी/टीएम)	
प्रचालक	एक पैर, बधिर
इलेक्ट्रिशियन	एक पैर, बधिर
फिटर	एक पैर, दोनों पैर, दृष्टिहीन, मंद दृष्टि, बधिर
इलेक्ट्रॉनिक्स	चिह्नित नहीं
इंस्ट्रूमेंटेशन	एक पैर, बधिर
मशीनिस्ट / टर्नर	एक पैर, मंद दृष्टि, बधिर, दृष्टिहीन,
वैल्डर	एक पैर, बधिर
ड्राइवर-कम-पम्प ऑपरेटर-कम-फायरमैन-ए	बे.निशक्त जनों हेतु चिह्नित नहीं

## 7. अधिकतम आयु सीमा में छूट

क्रम सं.	श्रेणी	आयु सीमा में छूट	
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष	
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर)	3 वर्ष	
3.	बेंचमार्क निशक्त जन(बें.नि.जन)	10 वर्ष	* आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होने की शर्त पर
	बेंचमार्क निशक्तजन अनुसूचित जाति/जनजाति	15 वर्ष	
	बेंचमार्क निशक्तजन अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमी लेयर)	13 वर्ष	
4.	भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी	मिलिट्री सेवा की अवधि+ 3 वर्ष	
5.	विधवा तलाकशुदा महिलाएं तथा न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग रह रही महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया हो।	35 वर्ष की आयु(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40वर्ष तक) परंतु शैक्षिक योग्यता एवं भर्ती की प्रक्रिया में कोई छूट नहीं होगी।	
नोट	<p>एनपीसीआईएल में संविदा नियतकालिक आधार पर कार्य का अनुभव रखने वाले और एनपीसीआईएल में कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदकों को निर्धारित आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।</p> <p>एनपीसीआईएल में पहले से कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर विज्ञापन में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होगी।</p> <p>ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन/ए - लम्बा अनुभव एवं उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी। उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ लेने के लिए अग्निशामक क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक है।</p>		

## 8. आवश्यक अनिवार्य शारीरिक मानदंड(ऊंचाई एवं वजन)

क्रम सं.	पदों का नाम	अनिवार्य शारीरिक मानदंड
1.	श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-प्रचालक	160 सेमी न्यूनतम ऊंचाई। 45.5 किग्रा. न्यूनतम वजन
2.	श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-अनुरक्षक	
3.	ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन/ए	<p>कोई विकलांगता नहीं</p> <p>ऊंचाई: 165 सेमी. (न्यूनतम)</p> <p>वजन: 50 किग्रा. (न्यूनतम)</p> <p>सीना: 81 सेमी. (सामान्य)</p> <p>सीना: न्यूनतम 86 सेमी. (फुलाकर)</p> <p>दृष्टि: चश्मा या किसी अन्य सहायक उपकरण के बिना 6/6, रतोथि या वर्णांधता अयोग्यता मानी जाएगी।</p> <p>उपरोक्त शारीरिक मापदंड, शारीरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही चरण-1(प्रारंभिक परीक्षा) और चरण-2 (एडवांस्ड परीक्षा) में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।</p>

## 9. अनिवार्य योग्यताएं एवं अनुभव

क्रम सं.	पदों का नाम एवं अंतिम तिथि पर अनिवार्य योग्यताएं एवं अनुभव
1	<p>श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-प्रचालक</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>HSC (10+2) अथवा ISC (विज्ञान विषयों के साथ) विज्ञान एवं गणित विषय में अलग-अलग 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए।</li> <li>कम से कम एसएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए।</li> </ol>
2	<p>श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम) - अनुरक्षक</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SSC (10 years) विज्ञान एवं गणित विषय में अलग-अलग 50% न्यूनतम अंक एवं संबंधित ट्रेड(इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, मशीनिस्ट, टर्नर एवं वेल्डर) में दो वर्ष का आईटीआई प्रमाण पत्र।</li> <li>उन ट्रेडों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</li> <li>कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए।</li> </ol>
3.	<p>ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन/ए</p> <p>50% अंकों के साथ एच.एस.सी.(10+2) (रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान) अथवा समकक्ष + वैध भारी वाहन चालन लाइसेंस के साथ न्यूनतम एक वर्ष का ड्राइविंग अनुभव + अग्निशामक यंत्रों जैसे फायर एक्स्टिंगशर इत्यादि में स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर से सर्टिफिकेट कोर्स।</p>

### ध्यान रखने हेतु महत्वपूर्ण बिंदु:

1. सभी निर्दिष्ट अनिवार्य योग्यताएं **पूर्णकालिक, नियमित एवं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान** से होनी चाहिए। दूरस्थ शिक्षा, अंशकालिक, प्राइवेट, ओपन स्कूलिंग/एनओएस इत्यादि से अर्जित योग्यताओं पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
2. संबंधित पद के आगे उल्लिखित निर्दिष्ट ट्रेड्स पर ही विचार किया जाएगा, अन्य कोई समतुल्य ट्रेड पर विचार नहीं किया जाएगा यथा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आईटीआई को इंस्ट्रुमेंटेशन ट्रेड के समतुल्य विचार नहीं किया जाएगा।
3. ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन/ए पद हेतु अग्निशामक उपकरणों के लिए निर्धारित सर्टिफिकेट कोर्स स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर्स से ही होना चाहिए।
4. डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फायर, सब-ऑफिसर्स कोर्स अथवा अन्य उच्च अर्हता पर न्यूनतम आवश्यक अर्हता (सर्टिफिकेट कोर्स स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर्स) के बिना विचार नहीं किया जाएगा।
5. भर्ती के लिए उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम योग्यता की पूर्ति होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता के बाद एवं उससे ऊपर की अन्य कोई भी योग्यता के कारण सभी विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

## 10. चयन का तरीका

पदों का नाम	चयन प्रक्रिया
1. श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-प्रचालक	लिखित परीक्षा(प्रारंभिक + एडवांस टेस्ट)
2. श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-अनुरक्षक	लिखित परीक्षा(प्रारंभिक + एडवांस टेस्ट) एवं कौशल परीक्षा
3. ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन/ए	शारीरिक मानक परीक्षा + शारीरिक मूल्यांकन एवं ड्राइविंग परीक्षा + लिखित परीक्षा (प्रारंभिक एवं एडवांसड परीक्षा)

## 11. चयन प्रक्रिया

**ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन/ए**  
के लिए शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक मूल्यांकन परीक्षा  
(लिखित परीक्षा –चरण-1 एवं चरण-2 से पूर्व आयोजित की जाएगी)

### A. शारीरिक मानक परीक्षा

<b>कोई विकलांगता नहीं</b>
ऊँचाई : 165 सेमी. (न्यूनतम)
वजन : 50 किग्रा. (न्यूनतम)
सीना : 81 सेमी. (सामान्य)
सीना : न्यूनतम 86 सेमी. (फुलाकर)
दृष्टि : चश्मा या किसी अन्य सहायक उपकरण के बिना 6/6, रतौंधि या वर्णांधता अयोग्यता मानी जाएगी।

### B. शारीरिक मूल्यांकन एवं ड्राइविंग परीक्षा

क्र.सं.	परीक्षा का विवरण	अभ्यर्थी की आयु के अनुसार प्रस्तावित		
		40 वर्ष तक	40-45 के मध्य	45-50 के मध्य
1	100 मीटर की दौड़ लगाने में सक्षम होना चाहिए।	25 Seconds	28 Seconds	30 Seconds
2	उपकरण से 15 मीटर के होज़ को 4 बार बिछाने में सक्षम होना चाहिए।	3 minutes Upto 3 min. – 10 marks Between 3-4 min.- 8 marks Between 4-5 min.- 6 marks More than 5 min – No marks	4 minutes Upto 4 min. – 10 marks Between 4-5 min.- 8 marks Between 5-6 min.- 6 marks More than 6 min – No marks	5 minutes Upto 5 min. – 10 marks Between 5-6 min.- 8 marks Between 6-7 min.- 6 marks More than 7 min – No marks
3	एक्सटेंशन लेडर पर दो बार 10 मीटर की ऊँचाई तक चढ़ सकने और नीचे उतरने में सक्षम होना चाहिए।	2 minutes Upto 2 min. – 10 marks Between 2-3 min.- 8 marks Between 3-4 min.- 6 marks More than 4 min – No marks	3 minutes Upto 3 min. – 10 marks Between 3-4 min.- 8 marks Between 4-5 min.- 6 marks More than 5 min – No marks	4 minutes Upto 4 min. – 10 marks Between 4-5 min.- 8 marks Between 5-6 min.- 6 marks More than 6 min – No marks
4	अपने समान वजन के व्यक्ति को फायरमैन लिफ्ट विधि से 25 मीटर तक ले जा सकने में सक्षम होना चाहिए।	3 minutes Upto 3 min. – 10 marks Between 3-4 min.- 8 marks Between 4-5 min.- 6 marks More than 5 min – No marks	4 minutes Upto 4 min. – 10 marks Between 4-5 min.- 8 marks Between 5-6 min.- 6 marks More than 6 min – No marks	5 minutes Upto 5 min. – 10 marks Between 5-6 min.- 8 marks Between 6-7 min.- 6 marks More than 7 min – No marks

क्र.सं.	परीक्षा का विवरण	अभ्यर्थी की आयु के अनुसार प्रस्तावित		
		40 वर्ष तक	40-45 के मध्य	45-50 के मध्य
5	पुश अप लगाने में सक्षम होना चाहिए	20 continuously – 10 marks (Proportionate for less nos.)	15 continuously – 10 marks (Proportionate for less nos.)	12 continuously – 10 marks (Proportionate for less nos.)
6	1.6 किमी. की दौड़ लगाने में सक्षम होना चाहिए	10 minutes Upto 10 min. – 10 marks Between 10-11 min.- 8 marks Between 11-12 min.- 6 marks More than 12 min – No marks	12 minutes Upto 12 min. – 10 marks Between 12-13 min.- 8 marks Between 13-14 min.- 6 marks More than 14 min – No marks	14 minutes Upto 14 min. – 10 marks Between 14-15 min.- 8 marks Between 15-16 min.- 6 marks More than 16 min – No marks
7	रस्सी अथवा उर्ध्वधर पाइप पर चढ़ना	3 meters – 10 marks Between 2.5-3 meters- 8 marks Between 2-2.5 meters- 6 marks Below 2 meters – No marks	NA	NA

### नोट Note:

- क्रम सं. 1 में दी गई परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, इसमें असफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए अनुपयुक्त होंगे और वे आगे की परीक्षा में भाग नहीं लेंगे।
- क्रम सं. 2 से 7 (समान भारांक लेते हुए) पर उल्लेखित परीक्षाओं में अहर्क प्रतिशत अंक 90% तथा औसत तौर पर अधिक होने चाहिए।
- 45 से 50 वर्ष की आयु के अभ्यर्थियों पर लागू शारीरिक मूल्यांकन परीक्षा 50 वर्ष की आयु से अधिक आयु के अभ्यर्थियों पर भी लागू होगी।
- अभ्यर्थी को ड्राईविंग परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य।  
उपरोक्त शारीरिक मापदंड, शारीरिक मूल्यांकन एवं ड्राईविंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा [चरण-1(प्रारंभिक परीक्षा) और चरण-2 (एडवांसड परीक्षा)] में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

## श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-प्रचालक एवं अनुरक्षक तथा ड्राईवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम-फायरमैन/ए के पदों के लिए लिखित परीक्षा

ओएमआर आधारित अथवा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी) लिखित परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

**चरण -1 प्रारंभिक परीक्षा(अवधि 1 घंटा )**

**चरण-2 एडवांसड परीक्षा (अवधि 2 घंटे)**

**चरण -1 – प्रारंभिक परीक्षा :** यह अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट करने के लिए एक छंटनी परीक्षा होगी। छंटनी परीक्षा का संरूप सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन होगा और निम्नानुसार संरूप में होगा :

(a) **01 (एक) घंटे** की परीक्षा में निम्न अनुपात में बहुविकल्पी प्रकार (4 उत्तरों के विकल्प) के कुल **50 प्रश्न** होंगे :

1	गणित	20 प्रश्न
2	विज्ञान	20 प्रश्न
3	सामान्य जागरूकता	10 प्रश्न

(b) प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक काटा जाएगा।

(c) उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एकल/बहुसत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

**अर्हता मानक :** अर्हता मानक निम्नानुसार होंगे :

**सामान्य श्रेणी (अनारक्षित)/आ.क.व.-** 40% अंक;

**अजा/अजजा/अपिव/बेनिज –** 30% अंक(यदि संबंधित आरक्षित श्रेणी में रिक्ति होती है, तो ही लागू।)

तदनुसार, 40% से कम अंक पाने वाले सामान्य श्रेणी/आ.पि.व के एवं 30% से कम अंक पाने वाले **अजा/अजजा/अपिव/ बेनिज** श्रेणी के अभ्यर्थी छंटनी में चरण-2 के लिए बाहर हो जाएंगे।

**चरण-2 – एडवांसड परीक्षा [परीक्षा 02 (दो) घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी]**

(a) चरण—1 में छंटनी हुए समस्त अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित ट्रेड की एडवांसड परीक्षा देनी होगी।

(b) उक्त परीक्षा 02(दो) घंटे की अवधि की होगी।

(c) **श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु (एसटी/टीएम)-प्रचालक**  
**श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु (एसटी/टीएम)-अनुरक्षक**  
**ड्राईवर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन/ए**

प्रश्नों का स्तर HSC अथवा ISC के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।

प्रश्नों का स्तर उनके संबंधित ट्रेड के आधार पर होगा।

प्रश्नों का स्तर उनके संबंधित ट्रेड के आधार पर होगा।

(d) परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार (4 उत्तरों के विकल्प) के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक काटा जाएगा।

**अर्हता मानक :** अर्हता मानक निम्नानुसार होंगे :

**सामान्य श्रेणी (अनारक्षित)/आ.क.व.-** 30% अंक;

**अजा/अजजा/अपिव/बेनिज** – 20% अंक(यदि संबंधित आरक्षित श्रेणी में रिक्ति होती है, तो ही लागू)

तदनुसार, 30% 33से कम अंक पाने वाले सामान्य श्रेणी/आ.पि.व के एवं 20% से कम अंक पाने वाले **अजा/अजजा/अपिव/ बेनिज** श्रेणी के अभ्यर्थी छंटनी में भर्ती की अगली प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

2. चरण-2 के पश्चात एक योग्यता-क्रम सूची केवल चरण-2 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

3. समान अंक होने की स्थिति में, योग्यता क्रम सूची में स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्रम से निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे :-

1. चरण -2 में कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा।
2. चरण -1 में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा।
3. चरण -1 में कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा।
4. चरण -1 में गणित विषय में अधिक धनात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा।
5. चरण -1 में विज्ञान विषय में अधिक धनात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा।

अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं एडवांस्ड परीक्षा एक ही दिन में देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में एवं चरण -2 के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए एडवांस्ड परीक्षा अपराह्न/सांयकालीन सत्र में **या दोनों परीक्षा एक साथ** अथवा एक के बाद दूसरी परीक्षा ली जायेगी। जो अभ्यर्थी चरण-1 परीक्षा में सफल नहीं होते हैं उनकी चरण-2 परीक्षा हेतु अभ्यर्थिता को स्वीकार नहीं किया जाएगा इस तरह ऐसे अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट का चरण-2 परीक्षा हेतु मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एनपीसीआईएल को परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार है, तथापि किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में अभ्यर्थियों को पहले से सूचित किया जाएगा।

**चरण 3 : कौशल परीक्षा (केवल श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु(एसटी/टीएम)-अनुरक्षक के पद हेतु)**

1. चरण -2 के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर प्रत्येक ट्रेड के अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए शार्ट लिस्ट किया जाएगा।
  2. कौशल परीक्षा के लिए शोर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या चरण -2 के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी परन्तु यह प्रत्येक पद में रिक्तियों की संख्या के 5 गुणा से ज्यादा नहीं होगी।
  3. कौशल परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी जिसके आधार पर आगे जाना है/नहीं जाना है, का निर्णय होगा। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया जाएगा एवं चरण-2 में प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें वरीयता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
- नोट** – श्रेणी -II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु-प्रचालक जिसके लिए निर्दिष्ट अर्हता HSC/ISC है के लिए कोई कौशल परीक्षा नहीं है।

## 12. प्रतीक्षा सूची

मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी तथा उसे चयनित अभ्यर्थी के नियत समय में अपने पद पर कार्यग्रहण नहीं करने अथवा अपने पद पर कार्यग्रहण करने के पश्चात एक वर्ष की अवधि के भीतर उस पद से त्यागपत्र देने अथवा उसका निधन हो जाने पर उस समय कोई फ्रेश पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इस प्रतीक्षा सूची को प्रयोग में लाया जाएगा। तथापि प्रतीक्षा सूची एक वर्ष की अवधि के पश्चात अथवा इस प्रकार के भर्ती विज्ञापन की अधिसूचना के पश्चात, जो भी पहले हो, प्रयोग में नहीं लाई जाएगी।

## 13. बेंचमार्क निशक्त जन हेतु सामान्य दिशानिर्देश

दृष्टि बाधित अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति स्थायी रूप से किसी भी कारण से प्रतिकूलतः प्रभावित है वे अधोलिखित सीमाओं के तहत परीक्षा में श्रुतलेखक का प्रयोग कर सकते हैं :

- क. अभ्यर्थी श्रुतलेखक की सहायता ले सकता है।
- ख. अभ्यर्थी द्वारा लाया गया श्रुतलेखक परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए।
- ग. यदि पूरी प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक दोनों की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।
- घ. एक अभ्यर्थी का श्रुतलेखक किसी अन्य अभ्यर्थी का श्रुतलेखक नहीं हो सकता।
- ङ. अभ्यर्थियों एवं श्रुतलेखक दोनों को ही यह पुष्टि करते हुए एक समुचित घोषणा करनी होगी कि वह उपर्युक्त उल्लिखित श्रुतलेखक हेतु अनुबंधित मानदंड पूर्ण करता है। इसके बाद में यदि यह प्रकट होता है कि उन्होंने निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूर्ण नहीं किया है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है तो आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी चाहे लिखित परीक्षा का परिणाम कुछ भी रहा हो।

- च. जो अभ्यर्थी श्रुतलेखक का इस्तेमाल कर रहे हैं वे परीक्षा में प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अथवा परामर्शानुसार प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।
- छ. बेंचमार्क निशक्त जन अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक 1 घंटे के लिए 20 मिनट का अथवा यथा निर्देशानुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- ज. दृष्टि बाधित अभ्यर्थी(जो कम से कम 40% तक निशक्त हों) परीक्षा में शब्दों को आवर्धक प्रिंट में देखने का विकल्प दे सकते हैं।
- झ. अभ्यर्थी परीक्षा में श्रुतलेखक की सेवाएं लेने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की सामग्री को आवर्धक फॉण्ट में देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

## 14. सामान्य दिशानिर्देश

1. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के लिए पात्र हैं।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना निजी ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. सक्रिय रखें। एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एनपीसीआईएल लिखित परीक्षा आदि की सूचना केवल पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा तथा अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नं. पर एसएमएस भी भेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत करवाया गया मोबाइल नं. TRAI NCPR सूची (जिसे पहले DND कहा जाता था) में है तो अभ्यर्थी को पंजीकरण से संबंधित एसएसएस अलर्ट प्राप्त नहीं होंगे।
3. वर्तमान में, उपरोक्त सभी पद **रावतभाटा राजस्थान साइट** के लिए निर्दिष्ट हैं, किंतु आवश्यकता के अनुसार भारत/विदेश में किसी भी स्थान पर निगम की किसी भी इकाई/साइट में निगम की आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जा सकता है।
4. आयु सीमा, योग्यता एवं योग्यता उपरांत अनुभव की गणना की विच्छेदक तिथि ऑन-लाइन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 21/01/2020 होगी। यदि किन्हीं प्रशासनिक/तकनीकी कारणों से ऑन-लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा भी दी जाती है तो सभी योग्यता मानदंडों का निर्धारण करने के लिए दी गई विच्छेदक तिथि अर्थात् 21/01/2020 यही रहेगी।
5. ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व अर्थात् **21/01/2020** तक अभ्यर्थियों की अर्हता डिग्री पूर्ण हो जानी चाहिए। **अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर में बैठने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।**
6. जहाँ भी योग्यता उपरांत अनुभव निर्धारित किया गया है, प्रोफेशनल योग्यता उत्तीर्ण करने के पश्चात ही उसकी गणना की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी योग्यता उपरांत अनुभव वर्ष एवं माह जैसे कि **केवल 2 वर्ष 11 माह में स्पष्ट रूप से दर्शाएँ न कि राउंड ऑफ में यथा 3 वर्ष।** तिथि की गणना अंतिम अंक तालिका/प्रमाणपत्र के जारी होने की तिथि से की जाएगी।
7. अकादमिक एवं तकनीकी योग्यता प्रतिशतता के कॉलम में स्पष्ट रूप से प्रतिशतता जैसे कि **59.9% दर्शाई जाए न कि राउंड ऑफ में अर्थात् 60%।**
8. अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संस्था के अनुमोदन/मान्यता एवं AICTE/UGC पाठ्यक्रम के समर्थन में संस्था के प्रधानाचार्य/अध्यक्ष द्वारा जारी संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. CGPA प्रणाली के तहत ग्रेड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा जारी प्रमाण जिसमें CGPA ग्रेड को समुचित प्रतिशतता में परिवर्तित करना दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।
10. ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, **अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे ऑन-लाइन विज्ञापन में प्रकाशित आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। यदि अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं तो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो जाता है एवं बाद में यह पाया जाता है कि वह पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं कर रहा है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी एवं यदि नियुक्त कर भी दिया गया है तो भी बिना किसी नोटिस या क्षतिपूर्ति के उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।**
11. गलत/गुमराह करने वाली सूचनाओं युक्त ऑन-लाइन आवेदन के विषय में पता लगते ही अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं नियुक्ति के पश्चात इस संबंध में किसी भी समय पता लगता है तो अभ्यर्थी को एनपीसीआईएल की सेवाओं से पदच्युत कर दिया जाएगा। एनपीसीआईएल ऐसे अभ्यर्थियों से इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं करेगा।
12. क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए अनुमत छूट/शिथिलता के लिए पात्र नहीं हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी केवल **सामान्य** के रूप में दर्शाएँ।
13. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अजा/अजजा के सभी अभ्यर्थी, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी से जारी जाति प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति, मूल प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेंगे। ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र हाल ही में जारी किया हुआ हो जिस पर क्रीमी लेयर/नॉन-क्रीमी लेयर की स्थिति के विषय में समुचित रूप से उल्लेख किया गया हो। (भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वे ओ.बी.सी. अभ्यर्थी जो गैर-क्रीमीलेयर का प्रमाणपत्र रखते हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं)।
14. जाति प्रमाणपत्र के उचित माध्यम से सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों के सत्यापन होने तक अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनंतिम रहेगी। यदि उपर्युक्त सत्यापन में पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अजा./अजजा./अपिव/बेनिज श्रेणी का होने का दावा एवं

- अन्य प्रमाणपत्र असत्य हैं तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। एनपीसीआईएल के पास अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसे असत्य प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आगे यथोचित कार्रवाई भी करने का अधिकार सुरक्षित है।
15. आर्थिक रूप से कमजोर (ई डब्ल्यू एस) श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसी नियुक्ति, यदि कोई हो, आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र के उचित माध्यम से सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों के सत्यापन होने तक अनंतिम रहेगी तथा यदि उपर्युक्त सत्यापन में पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) का होने का दावा जाली/असत्य है तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसे जाली/असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
  16. बेंचमार्क निशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम निशक्तता 40% है। निशक्तता की उप-श्रेणी अर्थात् बधिरता एवं अस्थिरोग निशक्तता दर्शाई जाए। बेंचमार्क निशक्तजन श्रेणी अभ्यर्थियों के पास इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी/चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी चिकित्सालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र हो।
  17. बधिर अभ्यर्थियों को श्रवण यंत्र (हियरिंग एड्स) का प्रयोग करने की अनुमति है, इसके लिए यंत्र की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी।
  18. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी का प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है तो अभ्यर्थी को उस प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  19. **अधिक अर्हता :** अर्हता मानदंड के संबंध में, भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करनी होगी। न्यूनतम अर्हता से अधिक या ऊपर की उच्च अर्हता सहित किसी अन्य अर्हता से अभ्यर्थी को विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्हक नहीं ठहराया जाएगा।
  20. पात्रता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही केवल संबंधित पदों के लिए लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के बारे में तिथि, समय, स्थान एवं अन्य सूचनाएं अलग से एक संदेश द्वारा केवल हमारी वेबसाइट [www.npcilcareers.co.in](http://www.npcilcareers.co.in) पर उपलब्ध कराई जाएगी।
  21. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी, कलाई घड़ी फोन, मल्टीमीडिया घड़ियां, पेजर्स, कैलकुलेटर, पेन स्केनर या ऐसे कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
  22. केंद्र/राज्य सरकार, एनपीसीआईएल सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, अनुदान प्राप्त संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, ऐसा नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र अवश्य लाएं, इसके बिना उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  23. निगम में अभ्यर्थी का निर्धारित प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थता प्रमाणन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त (सी. एंड ए.) तथा विशेष सुरक्षा प्रश्नावली (एस.एस.क्यू.) के सत्यापन, जाति प्रमाणपत्र एवं बेंचमार्क निशक्तजन प्रमाणपत्र के सत्यापन के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा।
  24. लिखित परीक्षा के लिए बाहर से बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आने-जाने का द्वितीय श्रेणी रेल किराया अथवा सामान्य बस किराए की नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो केंद्र/राज्य सरकार, केंद्र/राज्य के निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकार के संस्थानों एवं पंचायतों में सेवारत हैं, उन्हें यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  25. योग्यता मापदंड पूरा नहीं करने वाले अथवा जाति प्रमाणपत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
  26. एनपीसीआईएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाए जाने पर वह किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं करेगा।
  27. पद के लिए वांछित योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  28. **अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में भाग ले रहे या परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी, आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।** अतः उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
  29. इस भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर जिसमें भर्ती या ज्वाइनिंग के बाद के स्तर भी शामिल हैं, पर यदि निम्नलिखित में से कुछ भी पाया जाता है तो उक्त आवेदक एनपीसीआईएल में सभी नियुक्तियों के लिए अयोग्य, अभियोजित और विवर्जित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसका आवेदन/नियुक्ति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी, यदि आवेदक:
    - क. गलत सूचना दी हो या असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किया हो; अथवा
    - ख. संगत सूचनाओं को छिपाया हो; अथवा
    - ग. उस पद के लिए निर्धारित योग्यता मापदंडों को पूरा नहीं करता हो; अथवा
    - घ. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी अनुचित साधन का सहारा लिया हो; अथवा
    - ङ. छद्म व्यक्तित्व का दोषी पाया जाता है; अथवा
    - च. परीक्षा केंद्र पर लिखित परीक्षा के सुचारू संचालन को प्रभावित करने के लिए व्यवधान पैदा किया हो; अथवा
    - छ. गैर मानव अथवा असंगत फोटोग्राफ अपलोड किया हो।



30. अभ्यर्थी द्वारा एक ही पद के लिए अनेक/ दोहरे आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में केवल नवीनतम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
31. **परीक्षा केंद्र पर निशक्त अभ्यर्थियों के लिए आने-जाने एवं बैठनेके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।**
32. अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ मूल दस्तावेजों के साथ अपने मामले में यथाप्रयोज्य निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी:-
- क. जन्म तिथि प्रमाणपत्र के रूप में जन्म प्रमाणपत्र/एसएससी अंक तालिका।
- ख. शैक्षणिक, प्रोफेशनल एवं तकनीकी योग्यताओं से संबंधित समस्त अंक तालिकाएं एवं प्रमाणपत्र। प्रत्येक वर्ष तथा सेमेस्टर की अंक तालिका अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी है।
- ग. सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।
- घ. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ङ. एक्स-सर्विसमैन के मामले में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र।
- च. बेंचमार्क निशक्त जन की दशा में निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तता प्रमाणपत्र।
- छ. यदि अभ्यर्थी ने एनपीसीआईएल में संविदा पर कार्य किया हो तो ठेकेदार द्वारा जारी एवं एनपीसीआईएल प्रभारी अभियंता द्वारा अग्रेषित अनुभव प्रमाणपत्र/सेवा प्रमाणपत्र जिसमें सेवा की अवधि, वर्क आर्डर नं., पदनाम एवं कार्य जिम्मेदारी का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।
- ज. यदि अभ्यर्थी ने एनपीसीआईएल में नियतकालिक आधार पर कार्य किया हो तो एनपीसीआईएल द्वारा जारी अनुभव/सेवा प्रमाणपत्र जिसमें सेवा की अवधि, पदनाम एवं कार्य जिम्मेदारी का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।
- झ. कोई अन्य संगत प्रमाणपत्र (यथा प्रयोज्य)।
33. आवेदक को अपने द्वारा प्रस्तुत ऑन-लाइन आवेदन पत्र में दर्शाई गई सूचनाओं के आधार पर परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। अतः सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि वे सभी योग्यता शर्तों की पूर्ति करते हों। यदि बाद में किसी स्तर पर पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना गलत है अथवा अभ्यर्थी अन्य कोई योग्यता शर्तों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
34. परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। नियुक्ति पूरी तरह से सभी योग्यता शर्तों की पूर्ति करने एवं चयन के लिए निर्धारित मापदंडों में अर्हता प्राप्त करने पर आधारित होगी।
35. एक बार प्रविष्ट ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम होगा। इसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
36. किसी भी रूप में सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा।
37. किसी भी विवाद के मामले में न्याय क्षेत्र राजस्थान होगा।
38. निगम के पास इस पूरी भर्ती तथा चयन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए अथवा सूचना दिए संशोधित करने/निरस्त करने/इसका विस्तार करने का अधिकार है।
39. जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ हो, उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
40. इस प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी उद्घोषणाएं/विवरण/अपडेट/शुद्धिपत्र/अनुशेष आदि समय-समय पर केवल एनपीसीआईएल की वेबसाइट [www.npcilcareers.co.in](http://www.npcilcareers.co.in) पर प्रकाशित/उपलब्ध करवाए जाएंगे।
41. विज्ञापन के हिंदी रूपान्तर में किसी प्रकार की विसंगति की दशा में अंग्रेजी का प्रारूप ही सभी प्रयोजनों हेतु मान्य होगा।

**महत्वपूर्ण टिप्पणी:** ये नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच के समक्ष अणुशक्ति डॉ. अम्बेडकर एससी/एसटी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम निदेशक (मा.सं.), न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अन्य के मध्य रिट याचिका नं. 15634/2013 के अंतिम परिणाम से बाध्यकारी रहेगी।

प्रबंधक (मासंप्र)



## नाभिकीय विद्युत – एक अपरिहार्य विकल्प

“एनपीसीआईएल ऐसा कार्यदल तैयार करने का प्रयास करता है जो लैंगिक संतुलन दर्शाता है एवं महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”



**NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
**(A Government of India Enterprise)**  
**Rawatbhata Rajasthan Site**  
**Post-Anushakti, Via-Kota (Raj.) PIN-323303**



**HUMAN RESOURCE MANAGEMENT**

**Advertisement No.: RR Site/HRM/02/2019**

**START DATE OF ONLINE APPLICATION: 31/12/2019 FROM 10:00 hrs.**

**LAST DATE OF ONLINE APPLICATION: 21/01/2020 UPTO 16:00 hrs.**

NPCIL, a premier Public Sector Enterprise under Department of Atomic Energy, Government of India having comprehensive capability in all facets of Nuclear Technology namely, Site Selection, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Renovation, Modernization & Upgradation, Plant Life Extension, Waste Management and Decommissioning of Nuclear Reactors in India under one roof, invites applications for the following posts at “**Rawatbhata Rajasthan Site**” to share these challenging spectrum of responsibilities:

**1. Details of the Posts**

Sl. No.	Name of Posts	Current Vacancies							Backlog Vacancies					
		Total (A)	SC	ST	OBC	PwBD	EWS	UR	Total (B)	SC	ST	OBC	PwBD	Total (A+B)
<b>Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)</b>														
1	<b>Operator</b>	68	11	09	14	02*	06	28	02	01	01	00	00	<b>70</b>
2	<b>Maintainer</b>	100	17	13	20	04*	10	40	05	00	04	00	01	<b>105</b>
3	<b>Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A</b>	10	03	00	02	00	01	04	00	00	00	00	00	<b>10</b>
	<b>Total</b>	<b>178</b>	31	22	36	06*	17	72	07	01	05	00	01	<b>185</b>

\*Out of current 168 vacancies, 06 vacancies (VH: 02, HH:02, OH:02) will be filled by PwBD candidates and will be adjusted horizontally. Therefore, selected PwBD candidate will be adjusted against their respective category i.e. SC/ST/OBC/UR.

**Abbreviation:** SC-Scheduled Castes, ST-Scheduled Tribes, OBC-Other Backward Class (Non-Creamy Layer), PwBD-Persons with Benchmark Disability, EWS – Economically Weaker Sections, UR-Unreserved

**Trade wise distribution of vacancies for the post of Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM) –Maintainer**

Sl. No.	Name of Posts	Current Vacancies							Backlog Vacancies					
		Total (A)	SC	ST	OBC	PwBD	EWS	UR	Total (B)	SC	ST	OBC	PwBD	Total (A+B)
1	<b>Electrician</b>	14	02	02	03	Will be adjusted horizontally	01	06	01	00	00	00	01	<b>15</b>
2	<b>Fitter</b>	57	10	08	11		06	22	00	00	00	00	00	<b>57</b>
3	<b>Electronics</b>	17	03	02	04		02	06	04	00	04	00	00	<b>21</b>
4	<b>Instrumentation</b>	07	01	00	02		01	03	00	00	00	00	00	<b>07</b>
5	<b>Machinist / Turner</b>	02	00	01	00		00	01	00	00	00	00	00	<b>02</b>
6	<b>Welder</b>	03	01	00	00		00	02	00	00	00	00	00	<b>03</b>

## 2. Age limit & Pay

Sl.No.	Name of Posts	Age limit as on Closing date	Pay in Pay Matrix (As per 7th CPC Revised Pay)
1.	<b>Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Operator</b>	18 to 24 years	During 1 <sup>st</sup> year of training stipend of ₹ 10,500/- Per Month. During 2 <sup>nd</sup> year of training stipend of ₹ 12,500/- Per Month.  After successful completion of training, the trainees are likely to be considered for appointment to the post of Technician/B in the pay of ₹21,700/- in Level 3 of Revised Pay Structure (Pay Matrix) under CCS (RP) Rules, 2016. Additional increment(s), as per extant rules, depending upon performance during training program may also be granted.
2.	<b>Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Maintainer</b>	18 to 24 years	
3.	<b>Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A</b>	18 to 25 years	₹ 21,700/- (Pay in Pay Matrix in Level – 3)

## 3. Allowances & Other Benefits

Central Dearness Allowance, Performance Linked Incentive, Children Education Assistance, Leave Travel Concession, Canteen Subsidy, Site Location Allowance, Cable TV Reimbursement, Newspaper Reimbursement, Medical Assistance, Transport Allowance, Washing Allowance, Accommodation, School facility etc. as admissible from time to time as per Corporation Rules. These allowances will be applicable only after successful absorption and appointment as Technician.

## 4. Period of Training

The period of training for the post of Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Operator & Maintainer will be 2 years (24 months).

## 5. Details of Bond to be executed by the Stipendiary Trainee Category-II

Candidates selected for Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Operator (10+2) & Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Maintainer (ITI) will have to execute a Bond prior to induction in Traineeship programme. The Bond to be executed will be 3 times of training period subject to minimum of 2 years and maximum of 5 years. In the event of breach of Bond, the amount repayable will be equivalent to the Stipend plus Book Allowance actually received.

<b>Service Bond for serving in NPCIL for a period of</b>	Five years (5 years) after completion of training.
<b>Indemnity Bond / Bank Guarantee for an amount of</b>	₹ 2,79,000/-

## 6. Identified Posts for PwBD: Percentage of Disability should be 40% or more

Name of Posts	Disablement Category
<b>Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)</b>	
Operator	OL- One Leg, HH- Hearing Impaired
Electrician	OL- One Leg, HH- Hearing Impaired
Fitter	OL-One Leg, BL-Both Legs, B-Blind, LV-Low Vision, HH-Hearing Impaired
Electronics	Not identified
Instrumentation	OL- One Leg, HH- Hearing Impaired
Machinist / Turner	OL-One Leg, LV-Low Vision, HH-Hearing Impaired, B-Blind,
Welder	OL- One Leg, HH- Hearing Impaired
Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A	Not identified for PwBD

## 7. Relaxation in Upper Age Limit

S.No	Category	Age relaxation	
1.	Scheduled Castes/Scheduled Tribes	5 Years	
2.	Other Backward Class (Non Creamy Layer)	3 Years	
3.	Persons with Benchmark Disabilities (PwBD)	10 Years	Subject to the condition that maximum age of the applicant on the last date of submission of application shall not exceed 56 years.
	PwBD Scheduled Castes/Scheduled Tribes	15 Years	
	PwBD- Other Backward Class ( Non-Creamy layer)	13 Years	
4.	Ex-Serviceman	Period of Military Service + 3 years	
5.	Widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not re-married.	Up to the age of 35 years (up to 40 years for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) but no relaxation of educational qualification or method of recruitment.	
<b>Note</b>	Additional relaxation in prescribed age limit commensurate with experience of working with NPCIL on Contract and who are possessing experience of working with NPCIL, subject to maximum of 5 years.		
	Upper age limit as prescribed in the advertisement shall not be applicable to regular employees already serving in NPCIL.		
	<b>Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman/A</b> – Maximum 5 years relaxation in upper age limit will be allowed in the case of candidates with longer experience and outstanding merit. Five years experience in Fire Fighting field is required for getting the advantage of 05 years relaxation in upper age.		

## 8. Requirement of Essential Physical Standards (Height & Weight)

S.No.	Name of Posts	Essential Physical Standards
1.	Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)-Operator	Minimum Height of 160 cms. Minimum Weight of 45.5 kgs.
2.	Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)-Maintainer	
3.	Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A	<p><b>No deformity</b>            Height : 165 cms.( minimum)            Weight : 50Kgs (minimum)            Chest : 81cms. (normal)            Chest : minimum 86 cms. (expansion)            Vision : 6/6 without wearing glasses or any other aid. Night blindness/Colour blindness shall be a disqualification.</p> <p>Those who clear the above Physical Standard and prescribed Physical Assessment Test &amp; Driving Test shall be allowed to appear in written examination of the Stage-1 (Preliminary Test) and Stage-2(Advance Test).</p>

## 9. Essential Qualifications & Experience

S.N.	Name of Posts & Essential Qualification & Experience as on closing date
1	<b>Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Operator</b> 1. HSC (10+2) or ISC (with Science subjects) with not less than 50% marks in Science and Mathematics individually. 2. Shall have English as one of the subjects at least at SSC level examination.
2	<b>Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Maintainer</b> 1. SSC (10 years) with minimum 50% in Science subject and Mathematics individually and 2 years ITI certificate in relevant trade (Electrician, Fitter, Electronics, Instrumentation, Machinist, Turner & Welder). 2. For trades for which the duration of the ITI course is less than 2 years, the candidates shall have at least one year relevant working experience after completion of the course. 3. Shall have English as one of the subjects at least at SSC level examination.
3.	<b>Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A</b> H.S.C.(10+2) (Science with Chemistry) or equivalent with minimum 50% of marks+ valid Heavy Vehicle Driving License with minimum one year driving experience+ Certificate Course in Fire Fighting equipment such as Fire Extinguisher etc. from the State Fire Training Centres.

### Important to Note:

- All the prescribed essential qualifications should only be of **full time, regular and from recognized University/ Institution**. Qualification acquired through distance learning, part time, private, open schooling/NIOS etc. will not be considered in any case.
- Only prescribed trades mentioned against the post shall be considered, any other equivalent trade shall not be considered e.g. ITI in Electronics Trade will not be considered equivalent to Instrumentation trade.
- The certificate course in Fire Fighting Equipment prescribed for the post of Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A should only be from State Fire Training Centres.
- Certificate course in Fire Fighting Equipment other than State Fire Training Centres. Diploma Certificate, Sub-Officer course or any other higher qualification without having minimum essential qualification will not be considered.
- Minimum qualification prescribed for recruitment as mentioned above has to be fulfilled. Any other qualification including higher qualification over and above the minimum qualification will not disqualify the candidate to appear in written examination for all the advertised posts.

## 10. Mode of Selection

Name of the Post	Selection procedure
1. Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)-Operator	Written Examination(Preliminary Test + Advance Test)
2. Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)-Maintainer	Written Examination(Preliminary Test + Advance Test) and Skill test
3. Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A	Physical Standard Test + Physical Assessment & Driving Test + Written Examination (Preliminary Test + Advance Test)

## 11. Selection Procedure

### Physical Standard Examination & Physical Assessment Tests for **Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A** (to be conducted before Written Examination of Stage-1 & Stage-2)

#### A. Physical Standard Test

<b>No deformity</b>	
Height	: 165 cms.( minimum)
Weight	: 50 Kgs (minimum)
Chest	: 81 cms. (normal)
Chest	: minimum 86 cms. expansion)
Vision	: 6/6 without wearing glasses or any other aid. Night blindness/Colour blindness shall be a disqualification.

#### B. Physical Assessment & Driving Test

Sl. No.	Details of the Test	Proposed as per the candidate's Age		
		40 Upto 40 years	40-45 Between 40-45 years	45-50 Between 45-50 years
1	Should be able to run 100 meters.	25 Seconds	28 Seconds	30 Seconds
2	Should able to lay 4 length of hoses each 15 meters long from the appliance.	3 minutes Upto 3 min. – 10 marks Between 3-4 min.- 8 marks Between 4-5 min.- 6 marks More than 5 min – No marks	4 minutes Upto 4 min. – 10 marks Between 4-5 min.- 8 marks Between 5-6 min.- 6 marks More than 6 min – No marks	5 minutes Upto 5 min. – 10 marks Between 5-6 min.- 8 marks Between 6-7 min.- 6 marks More than 7 min – No marks
3	Should be able to climb on extension ladder of 10 mtrs. length and come down twice in	2 minutes Upto 2 min. – 10 marks Between 2-3 min.- 8 marks Between 3-4 min.- 6 marks More than 4 min – No marks	3 minutes Upto 3 min. – 10 marks Between 3-4 min.- 8 marks Between 4-5 min.- 6 marks More than 5 min – No marks	4 minutes Upto 4 min. – 10 marks Between 4-5 min.- 8 marks Between 5-6 min.- 6 marks More than 6 min – No marks
4	Should be able to carry a person of approximately his own weight by the Fireman's Lift Method over 25 mtrs.	3 minutes Upto 3 min. – 10 marks Between 3-4 min.- 8 marks Between 4-5 min.- 6 marks More than 5 min – No marks	4 minutes Upto 4 min. – 10 marks Between 4-5 min.- 8 marks Between 5-6 min.- 6 marks More than 6 min – No marks	5 minutes Upto 5 min. – 10 marks Between 5-6 min.- 8 marks Between 6-7 min.- 6 marks More than 7 min – No marks
5	Should be able to do push ups	20 continuously – 10 marks (Proportionate for less nos.)	15 continuously – 10 marks (Proportionate for less nos.)	12 continuously – 10 marks (Proportionate for less nos.)
6	Should be able to run 1.6 km in	10 minutes Upto 10 min. – 10 marks Between 10-11 min.- 8 marks Between 11-12 min.- 6 marks More than 12 min – No marks	12 minutes Upto 12 min. – 10 marks Between 12-13 min.- 8 marks Between 13-14 min.- 6 marks More than 14 min – No marks	14 minutes Upto 14 min. – 10 marks Between 14-15 min.- 8 marks Between 15-16 min.- 6 marks More than 16 min – No marks
7	Rope / Vertical pipe climbing	3 meters – 10 marks Between 2.5-3 meters- 8 marks Between 2-2.5 meters- 6 marks Below 2 meters – No marks	NA	NA

#### Note:

1. Qualifying in test at Sl.No. 1 is compulsory, failing which the candidates is unfit for recruitment and further tests need not be carry out.
2. The qualifying percentage marks required for the tests from Sr.No.2 to Sr.No.7 (taking equal weightage) put together shall be 90% and above on an average.
3. Physical Assessment Test Test applicable for the candidates between 45-50 years shall also be applicable for the candidates beyond 50 years.
4. Candidate has to qualify the Driving Test compulsory.

**Those who clears the above Physical Standard, Physical Assessment & Driving Test shall be allowed for appearing for the Written Examination [Stage-1 (Preliminary Test) and Stage-2(Advance Test)]**

## Written Examination for the post of : Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)- Operator & Maintainer and Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A

The OMR based or Computer Based Test (CBT) Written Examination will be in two stages.

**Stage-1-** Preliminary Test (1 Hour Duration)

**Stage-2-** Advanced Test (2 Hours Duration)

**Stage-1 – Preliminary Test:** It will be a screening examination to be held to shortlist candidates. The format of screening examination shall be common for all trades and will be in following format:

- (a) Examination will comprise **50 Multiple Choice Questions** (Choice of four answers) of **01 (one) hour** duration in the following proportion:

1	Mathematics	20 Questions
2	Science	20 Questions
3	General Awareness	10 Questions

- (b) 03 (Three) marks shall be awarded for each correct answer and 01 (one) mark shall be deducted for each incorrect answer.
- (c) Tests may be conducted in single/multiple sessions depending upon logistics requirements.

**Qualifying Standards :** The qualifying standards shall be as follows:

**General Category (UR)/EWS** – 40% marks;

**SC/ST/OBC/PWBD** – 30% marks (applicable, if vacancy exists in relevant reserved category)

Accordingly, the General/EWS Candidates < 40% marks and the candidates belonging to SC/ST/OBC/PWBD with < 30% marks will be screened out for Stage-2.

### **Stage-2 – Advanced Test [Test will be of 02 (two) hours duration]**

- (a) All candidates screened in Stage-1 to undertake an advanced test in their respective trade.
- (b) The Test will be of 02 (two) hours duration.
- (c) Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)-Operator: The level of questions will be based on the syllabus in HSC or ISC  
Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)-Maintainer: The level of questions will be based on their respective trade.  
**Driver-cum-Pump Operator-cum-Fireman-A:** The level of questions will be based on the trade.
- (d) The Test will comprise 50 Multiple Choice Questions (Choice of four answers) with 03 (Three) marks shall be awarded for each correct answer and 01 (one) mark shall be deducted for each incorrect answer.

**Qualifying Standards:** The qualifying standards shall be as follows:

**General Category (UR)/EWS** – 30% marks;

**SC/ST/OBC/PWBD** – 20% marks (applicable, if vacancy exist in relevant reserved category)

Accordingly, the General/EWS Candidates < 30% marks and the candidates belonging to SC/ST/OBC/PWBD with < 20% marks will be screened out for further recruitment process.

1. A merit list shall be prepared of candidates after Stage-2 based upon scores obtained in Stage-2 only.
2. In the event of a tie, following criteria shall be adopted in sequence for deciding position in merit list:
  1. Candidates with lower negative marks in Stage-2 shall be placed higher on the merit list.
  2. Candidates with higher marks in Stage-1 shall be placed higher on the merit list.
  3. Candidates with lower negative marks in Stage-1 shall be placed higher on the merit list.
  4. Candidates with higher positive marks in mathematics in Stage-1 will be placed higher on the merit list.
  5. Candidates with higher positive marks in Science in Stage-1 shall be placed higher on the merit list.

Candidates to undertake the Preliminary and Advanced Test on the same day. Preliminary Test will be carried out in the morning session and the advanced test for candidates screened in for Stage-2 will be carried out in the afternoon/evening session OR simultaneously i.e. one after the other depending upon the logistic requirement/conditions. In this situation, the candidature of candidates who do not qualify in Stage-1, will not be considered for Stage-2. Accordingly, OMR sheets of such candidates for Stage-2 will not be eligible for evaluation. NPCIL reserves right to change the schedule of examination, however any change shall be intimated in advance to the candidates.

### Stage 3: Skill Test (Only for the post of Category-II Stipendiary Trainee (ST/TM)-Maintainer)

1. Based upon the merit list prepared after Stage-2, Candidates in each trade shall be shortlisted for Skill Test.
2. The number of candidates shortlisted for Skill Test would depend upon the number of candidates qualifying for Stage-2 but should not exceed 5 times the number of vacancies in each trade.
3. The Skill Test will be of qualifying nature only on Go/No Go basis. Candidates clearing the Skill Test shall be shortlisted and empanelled in order of merit based on marks secured in Stage-2.

**Note-** There will not be any Skill Test for **Category-II Stipendiary Trainee-Operator** for which the prescribed qualification is HSC/ISC.

## 12. Wait List

A wait list containing equal number of candidates as in the select main list shall be prepared and operated only in the event of occurrence caused by non-joining of the candidate from the select list within the stipulated time allowed for joining the post or where a candidate joins the post but resigns or dies within a period of one year from the date of joining, if a fresh panel is not available by that time. Wait list however, will not be operated beyond one year or after notification of such recruitment, whichever is earlier.

## 13. General guidelines for Persons with Benchmark Disabilities

The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is adversely affected permanently for any reason can use scribe during the examination, subject to limits as mentioned below:

- a. The candidate may avail assistance of a scribe.
- b. The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the examination.
- c. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature for exam of both the candidates and the scribe will be cancelled.
- d. A person acting as a scribe for one candidate cannot be a scribe for another candidate.
- e. Both the candidates as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe as mentioned above. Further, in case, later it transpires that he/she did not fulfil any laid down eligibility criteria or suppressed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the written examination.
- f. Those candidates using a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination or as otherwise.
- g. All the PwBD candidates will be allowed additional time of 20 minutes for every 1 hour of the examination or as otherwise advised.
- h. Visually Impaired candidates (who suffer from not less than 40% of disability) may opt to view the contents of the test in magnified print.
- i. The facility of viewing the contents of the test in magnifying font will not be available to Visually Impaired candidates who use the services of a Scribe for the examination.

## 14. General Instructions

1. Only Indian Nationals are eligible to apply.
2. Candidates are advised to have a valid and active personal e-mail ID & mobile number till the completion of recruitment process. No change in the email-id and mobile number will be allowed once registered. NPCIL will send intimation / Admit Card for Written Examination etc. only through the registered email and SMS will also be sent to the mobile number given by the candidate. If the mobile number registered by the candidate is in the TRAI NCPR list (formerly called DND), candidate will not receive SMS alerts related to the registration.
3. Presently, all above mentioned posts are identified for **Rawatbhata Rajasthan Site** but carries with it the liability to serve in any of the units/Sites of the Corporation or at any place in India/abroad depending upon the requirement of the Corporation.



4. The **cut-off date** for reckoning Age Limit, qualification and Post Qualification Experience would be closing date prescribed for online application **i.e 21/01/2020**. The cut-off date for determining all eligibility criteria **i.e 21/01/2020** would remain same even if the closing date for submission of online application is extended for administrative / technical reasons.
5. Candidates should have completed their qualifying degree as on closing date of online submission of application **i.e 21/01/2020**. **Candidates appearing in Final Year / Final Semester are not eligible to apply.**
6. Wherever Post Qualification experience is prescribed, it will be calculated only after passing the prescribed professional qualification. Candidate should indicate exact post qualification experience in Years & Months e.g. **2 Years 11 Months only and the same should not be rounded off to 3 years**. The date will be calculated from the date of issuance of final mark sheet / certificate.
7. Exact percentage of marks only should be mentioned in Academic and Technical Qualification percentage of marks column e.g. **59.9% and the same should NOT be rounded off to 60%**.
8. Candidates are required to produce relevant certificate from the Principal / Dean of the Institute in support of approval / recognition of the Institute & Course by AICTE/UGC at the time of document verification.
9. Candidates who are awarded Gradations under the CGPA system are required to produce proof issued by the University / Institute converting the CGPA Gradations into appropriate percentage at the time of document verification.
10. Before submitting the online application, **the candidate must ensure that he/she fulfil all the eligibility criteria with respect to age, educational qualifications, work experience (if applicable) and other requirements as published in the online advertisement. If the candidate is not eligible, his / her candidature will be cancelled at any stage of the recruitment. If the candidate qualifies in the selection process and subsequently, it is found that she/he does not fulfil the eligibility criteria, her/his candidature will be cancelled and if appointed, services so obtained will be terminated without any notice or compensation.**
11. Online applications containing incorrect / misleading information will lead to the candidate being disqualified, as and when detected, irrespective of the stage of selection process and will also lead to dismissal from services of the NPCIL, on its detection at any time after appointment. NPCIL will not entertain any correspondence from these candidates.
12. The OBC candidates who belong to "Creamy layer" are not entitled for concession/relaxation admissible to OBC category and such candidates should indicate their category as **General** only.
13. All candidates belonging to SC/ST/OBC category shall produce self-attested copy of the caste certificate in the prescribed 'Central Government' format from the Competent Authority empowered to issue such certificate along with originals for verification at the time of documents verification. OBC certificate shall be of a recent date with suitable mention about creamy layer / Non – Creamy layer status. (OBC candidates with certificate having the "Non-Creamy Layer Clause" only will be eligible for reservation as per Government of India guidelines).
14. The candidate's appointment will remain provisional subject to caste certificate being verified through proper channel and verification of testimonials. The candidate's services will be liable to be terminated forthwith without assigning any reason in case the above verification reveals that her/his claim for belonging to SC/ST/OBC/PwBD category and other testimonials is found false. NPCIL also reserves its right to take such further action against the candidate, as it may deem proper, for production of such false certificates and testimonials.
15. All the candidates belonging to EWS category have to produce an Income and Assets Certificate issued by a Competent Authority in the prescribed format. "Appointment if any, shall be provisional and subject to the Income and asset certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake/false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake/false certificate".
16. The minimum disability in case of PwBD candidates is 40%. Sub-category of disability, i.e. Hearing Handicapped (HH) and orthopedically handicapped (OH) is shall be indicated. The PwBD candidates shall possess a Certificate to this effect issued by the Board/countersigned by the Medical Superintendent/Chief Medical Officer/Head of Hospital of Government.
17. The Hearing Impaired candidates are allowed to use Hearing Aids and the device should be arranged on their own.
18. If the SC / ST / OBC (Non Creamy Layer) / EWS / PwBD certificate has been issued in a language other than English / Hindi, the candidate will be required to submit a self certified translated copy of the same either in English or Hindi.
19. **Over-Qualification:** As regards the qualification criteria, minimum qualification prescribed for recruitment has to be fulfilled. Any other qualification including higher qualification over and above the minimum qualification will not disqualify the candidate to appear in written examination for all the advertised posts.
20. Candidates meeting the prescribed standard of eligibility will only be allowed to appear in written examination for respective posts. A separate communication about the date, timing, venue and other information about the written examination will be provided only at our website [www.npcilcareers.co.in](http://www.npcilcareers.co.in)
21. Electronic gadgets such as mobile phones, electronic wrist watches, wrist watch phones, multimedia watches, pagers, calculator, pen scanners or any other such electronic devices are not permitted inside the premises of Examination Hall. Any infringement of these instructions shall entail cancellation of their Candidature.

22. Candidates working in the Central/State Government, Public Sector Undertakings of Central/State Government (including NPCIL), Autonomous Bodies, Aided Institutions are required to produce NOC from the present employer failing which their candidature will not be accepted. Such candidates must bring NOC from the present employer without which they will not be allowed to appear in the written examination.
23. The final selection of the candidate in the Corporation will be subject to medically fit certification by the prescribed authority, verification of Character & Antecedents (C&A) and Special Security Questionnaire (SSQ), verification of Caste Certificates & PwBD certificate.
24. Outstation candidates of SC/ST category called for written examination shall be reimbursed to and fro IInd Class Rail or ordinary Bus fare as per rules. However, SC/ST candidates those who are already in service of Central/State Government, Central/State Corporations, PSUs, Local Government Institutions and Panchayats, shall not be paid travelling allowance.
25. Travelling expenditure shall not be reimbursed to candidates for attending written examination, if they do not fulfil the eligibility criteria or do not produce documents like Caste Certificate, journey tickets etc.
26. NPCIL reserves the right not to select any of candidate(s) for the advertised post if suitable candidate is not found.
27. Candidates possessing requisite qualification for the post are only eligible to apply.
28. Those candidates who are **appearing in or awaiting result of final year/final semester are not eligible to apply**. Hence their candidature shall not be considered.
29. At any stage of this recruitment process including after recruitment or joining, if any of the following is detected, the said applicant will be liable to be disqualified, prosecuted and debarred for all appointments in NPCIL and her/his application/appointment will be rejected forthwith:  
**If the applicant:**
  - a. has provided wrong information or submitted false documents; or
  - b. has Suppressed relevant information; or
  - c. does not meet the eligibility criteria prescribed for the post; or
  - d. has resorted to unfair means during the Recruitment process; or
  - e. is found guilty of impersonation; or
  - f. has created disturbance affecting the smooth conduct of the Written Examination at the test centre venue; or
  - g. has uploaded non-human or irrelevant photograph
30. In case of multiple / duplicate application for the same post by a candidate only latest application will be taken into account for further consideration.
31. **Necessary assistance for access & seating will be provided to PwBD candidates at the examination centre.**
32. Candidates are required to submit invariably **self-attested copy of the following certificates/documents as applicable to her/his case along with the print out of online application and admit card at the time of document verification with originals:-**
  - a. Birth Certificate/SSC Mark Sheet as a proof of Date of Birth.
  - b. Mark Sheets and Certificates of all Educational, Professional and Technical Qualifications. Mark Sheet of each year or each semester is must.
  - c. Caste Certificate issued by the Competent Authority in the prescribed format by the Government.
  - d. Income and Assets Certificate for EWS candidates issued by a Competent Authority in the prescribed format.
  - e. Discharge Certificate in case of Ex-Servicemen.
  - f. Disability Certificate issued by the Competent Authority in the prescribed format in respect of Person with Benchmark Disabilities (PwBD).
  - g. If the candidate has worked in NPCIL on Contract, Experience/Service Certificate issued by the Contractor duly forwarded by Engineer-in-charge, NPCIL having indicating the period of service, work order no., designation and details of job or responsibilities clearly.
  - h. If the candidate has worked in NPCIL on Fixed Term Basis, Experience/Service Certificate issued by NPCIL having indicating the period of service, designation and details of job or responsibilities clearly
  - i. Any other relevant certificates (as applicable).

The schedule of documents verification will be intimated separately.
33. The applicant would be admitted to the examination on the basis of the information furnished by her/him in the online application form. It is therefore advised to ensure that they fulfil all the eligibility conditions before applying. In case it is found at a later stage that the information furnished by an applicant is false or an applicant does not fulfil any other eligibility conditions, the candidature of such applicant would be cancelled and no correspondence in this regard would be entertained.
34. Issuance of an admit card for the examination will not confer any right for appointment. Appointment will be solely subject to fulfilment of all the eligibility conditions and qualifying in the selection criteria prescribed.
35. Email id and mobile number once entered is final. No change will be allowed.
36. Canvassing in any form shall be disqualification.
37. In case of any dispute, jurisdiction shall be at Rajasthan.
38. Corporation reserves the right to modify/cancel/expand the whole process of this recruitment and selection process at any stage without assigning any reason or intimation thereof.

39. No correspondence will be made with the candidates not selected.
40. All further announcements/ details pertaining to this process /updates/corrigendum/addendum etc. will only be published/ provided on NPCIL website [www.npcilcareers.co.in](http://www.npcilcareers.co.in) from time to time.
41. In case of any discrepancy in Hindi version of the advertisement, English version will prevail for all purposes.

**Important to Note:** "The appointment shall be subject to the final outcome of writ petition No. 15634/2013 between Anushakti Dr. Ambedkar SC/ST Employees Welfare Association V/s Director (HR), Nuclear Power Corporation of India Limited and others pending before the Hon'ble Rajasthan High Court Jaipur bench".

**Manager (HRM)**



## **Nuclear Power-An inevitable option**

NPCIL Strives to have a work force which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply.